परिचय

सरकार के द्वारा सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक निकायों और व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया जाता है। इनमें से कुछ ऋण एवं अग्रिम विशेष कानूनों के अंतर्गत, अन्य विशेष कारणों से या मान्यता प्राप्त नीति के अंतर्गत होते हैं। विशेष कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण एवं अग्रिम के मामले में या जिसके संबंध में सरकार ने कोई सामान्य नियम या आदेश जारी किए हो, उनके कारणों के साथ-साथ जिन शर्तों पर उन्हें बनाया गया हो, वे ऋण या अग्रिम को संस्वीकृति प्रदान करने के लिए आदेशों में पूर्ण रूप से बताए गए हो, इस उद्देश्य हेतु महालेखाकार की आवश्यकता है। महालेखाकार, किसी भी असामान्य स्थिति जैसे कि व्यक्तिगत मामले में ब्याज की छूट, की जांच कर सकते हैं। महालेखाकार को जांच करनी चाहिए कि ऋण या अग्रिम की अदायगी की शर्तें, ऋणी द्वारा अनुपालन की जाती हो, तथा उन्हें, यदि कोई, मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज की प्राप्ति हो, तो उस पर पूरी देखरेख/निगरानी रखनी चाहिए। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की समीक्षा के दौरान, पुनर्भुगतान में अनियमितताओं, शेष राशि की पावती एवं अवास्तविक तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।